मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 4404 / 22 / वि–7 / एन.आर.ई.जी. / 2007 भोपाल, दि. 04 / 12 / 2007

प्रति,

1. **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त (म.प्र.)
2. **अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त (म.प्र.)
3. **कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः ग्रामीण आजीविका के आधारभूत संसाधनों के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– म.प्र. के अंतर्गत ''निर्मल नीर'' उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में।

1. पृष्ठ भूमि एवं उद्देश्य :–

1.1 धारणीय ग्रामीण आजीविका (Sustainable Rural Livelihood) के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ साथ आजीविका के संदर्भ में दैनिक उपयोग के आधारभूत साधनों व संसाधनों का सुदृढ़ीकरण भी आवश्यक है।

1.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची 1 की कंडिका 1(i) में लिये जाने वाले कार्यों में ''पानी के कंजरवेशन तथा हार्वेस्टिंग'' का प्रावधान है और कंडिका 2 में ''ग्रामीण आजीविका के आधारभूत संसाधनों के सुदृढ़ीकरण'' को योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में उल्लेखित किया गया है।

1.3 ज्ञातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निस्तार एवं पीने के लिए पानी ग्रामीण आजीविका का आधारभूत संसाधन है, जिसके सुदृढ़ीकरण के लिए पैरा 1.1 में उल्लेखित आवश्यकता तथा पैरा 1.2 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के तहत ग्रामों में ''निर्मल नीर'' उपयोजना की आयोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना है। इस

उपयोजना का प्रमुख उद्देश्य निस्तार एवं पीने के लिए स्वच्छ पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। इस परिपेक्ष्य में यह निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

लिये जाने वाले कार्य :–

पूर्वोक्त उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ''निर्मल नीर'' उपयोजना के तहत समेकित रूप में निम्न कार्य लिये जायेंगे :–

- ग्राम की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त स्थलों पर **सामुदायिक उपयोग** के लिए तालाब निर्माण व कुआं निर्माण
- उक्त नवनिर्मित संरचनाओं तथा ग्राम में निस्तार व पीने के पानी के लिए पूर्व से मौजूद संरचनाओं जैसे तालाब, कुयें, हेण्डपंप इत्यादि में जल संरक्षण व भूजल संवर्धन हेतु इन संरचनाओं के कैचमेंट एरिया में अर्थात संबंधित माइक्रोवाटरशेड में कंटूर ट्रेंच, परकोलेशन तालाब, नाला बंधान, कुआं रिचार्ज इत्यादि के कार्य
- नवनिर्मित तथा पूर्व से निर्मित कुओं एवं हेण्डपंप के आस पास गंदे पानी के निपटारे हेतु आवश्यक संरचनाओं तथा सोकपिट का निर्माण

2. क्रियान्वयन एजेंसी :–

2.1 ''निर्मल नीर'' उपयोजना की आयोजना एवं क्रियान्वयन हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति क्रियान्वयन एजेंसी होंगी। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कार्य नहीं कर पाने की स्थिति में उससे लिखित में इस आशय की सूचना लेने के पश्चात ग्राम पंचायत ''निर्मल नीर'' उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन कर सकेगी, परन्तु निस्तार एवं पीने के पानी के लिए पूर्व से निर्मित तथा नवनिर्मित होने वाले तालाब तथा कुओं के रख रखाव और संधारण का दायित्व हर स्थिति में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का ही होगा।

3. आयोजना :–

3.1 ''निर्मल नीर'' उपयोजना की आयोजना हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा:–

3.1.1 सर्वप्रथम ग्राम की निस्तार एवं पीने के पानी की आवश्यकता का आकलन किया जायेगा और इस हेतु वर्तमान में उपलब्ध स्त्रोतों का विश्लेषण भी किया जायेगा।

3.1.2 उक्त आकलन तथा विश्लेषण के आधार पर गांव में प्रस्तावित तालाब निर्माण एवं कुआं निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों को इस तरह से चिन्हित किया जायेगा, ताकि गांव के सभी वर्गों के रहवासियों को आजीविका सुदृढ़ीकरण हेतु निस्तार एवं पीने के लिए स्वच्छ पानी के समुचित स्त्रोत उपलब्ध हो सकें। स्थल चयन के साथ–साथ कार्य (तालाब निर्माण अथवा कुआं निर्माण) का भी चयन किया जायेगा। ऐसे गांव जहां भू–जल की उपलब्धता ठीक नहीं है, वहां पर कुयें का चयन के बजाय तालाब निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी।

3.1.3 नवनिर्मित किये जाने वाले कुओं तथा गांव में निस्तार एवं पीने के पानी के लिए पूर्व से मौजूद कुओं के आसपास गंदे पानी के निपटारे हेतु सोकपिट निर्माण के लिए भी स्थल का चयन किया जायेगा।

3.1.4 नवनिर्मित किये जाने वाले कुओं व तालाबों तथा ग्राम में निस्तार व पीने के पानी के लिए पूर्व से मौजूद संरचनाओं जैसे तालाब, कुयें, हेण्डपंप इत्यादि में जल संरक्षण व भूजल संवर्धन हेतु प्रत्येक संरचना के कैचमेंट एरिया में अर्थात संबंधित माइक्रोवाटरशेड में आवश्यक कार्यों नामतः कंटूर ट्रेंच, परकोलेशन तालाब, नाला बंधान इत्यादि का चयन किया जायेगा एवं इन कार्यों हेतु स्थल चयन किया जायेगा।

3.2 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ''निर्मल नीर'' उपयोजना के उपरोक्तानुसार कार्यों के चयन व निर्माण स्थल की अनुशंसा सहित **अनुलग्नक – 1** में दर्शाये गये प्रपत्र में ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी संभव है कि प्रस्तावित तालाब निर्माण एवं कुआं निर्माण के लिए चयनित स्थल का स्वामित्व ''निजी'' हो। ऐसी स्थिति में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति संबंधित भू–स्वामी से परिसम्पत्ति के निर्माण के पश्चात ग्रामीण समुदाय को इसका उपयोग करने की अनुमति देने का अनुबंध **(अनुलग्नक–2)** करेगी व यह अनुबंध ग्राम पंचायत को अपनी अनुशंसा के साथ प्रेषित करेगी।

3.3 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से प्राप्त आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत के सरपंच, क्षेत्र के पटवारी तथा उपयंत्री के दल द्वारा ''निर्मल नीर'' उपयोजना के चयनित कार्य व इसके निर्माण स्थल की उपयुक्तता तथा औचित्य का परीक्षण स्थानीय परिस्थितियों (Local Specific Condition) और तकनीकी पहलुओं के आधार पर किया जायेगा। यदि चयनित कार्य व निर्माण स्थल उचित नहीं है तो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से सलाह मशविरा कर तथा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर

कार्य के चयन व इसके निर्माण स्थल में परिवर्तन किया जा सकेगा, जिस पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की सहमति भी ली जायेगी। उदाहरणस्वरूप यदि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किसी ऐसे स्थल पर तालाब प्रस्तावित किया गया है, जहां का कैचमेंट अत्यंत छोटा होने के कारण पानी के आवक की संभावना कम है तो इस तालाब के यथोचित स्थान पर निर्माण के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को मार्गदर्शन दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार दल द्वारा परीक्षण के उपरांत ''निर्मल नीर'' उपयोजना के चयनित कार्यों व इनके निर्माण स्थल के संबंध में अंतिम निर्णय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा लिया जायेगा। इसके उपरांत दल में शामिल उपयंत्री द्वारा ''निर्मल नीर'' उपयोजना के चयनित कार्य के डिजाईन व आकार (Dimension) (जैसे कुएं का व्यास व गहराई, तालाब के बंड की लंबाई, चौड़ाई व साइड स्लोप आदि, सोकपिट की लंबाई, चौड़ाई व गहराई) का निर्धारण किया जायेगा। कुयें के कार्य के साथ इसके चारों ओर जगत (Raised Platform) के डिजाईन व आकार का भी निर्धारण किया जायेगा।

कुओं के डिजाईन हेतु सांकेतिक मॉडल कपिलधारा उपयोजना के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश क्र.6077/22/वि–9/आरजीएम/2007 दिनांक 7.4.2007 के साथ संलग्न अनुलग्नक – 3 में दर्शाये गये हैं। कंटूर ट्रेंच की डिजाईन हेतु सांकेतिक मॉडल ''शैल पर्ण'' उपयोजना के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश क्र.8777/22/वि–7/एनआरईजी/2007 दिनांक 4.6.2007 के साथ संलग्न अनुलग्नक–2 में दर्शाये गये हैं। सोकपिट की डिजाईन हेतु सांकेतिक मॉडल इस आदेश के साथ संलग्न **अनुलग्नक – 3** में दर्शाये गये हैं। ''निर्मल नीर'' उपयोजना के चयनित कार्यों की डिजाईन व आकार निर्धारण में इनका उपयोग किया जा सकता है, परन्तु ''निर्मल नीर'' उपयोजना के चयनित कार्य के डिजाईन व आकार का निर्धारण हेतु स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थल की विशिष्टताओं व तकनीकी पहलुओं के अनुरूप इनमें परिवर्तन किया जा सकेगा।

''निर्मल नीर'' उपयोजना के चयनित कार्य के डिजाईन व आकार का निर्धारण होने पर उपयंत्री इन कार्यों के अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायत को अपनी अनुशंसा प्रेषित करेगा।

3.4 ग्राम पंचायत अपनी बैठक आयोजित कर उपयंत्री द्वारा अनुशंसित ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों को अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात इन कार्यों का अनुमोदन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों को शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा।

4. कार्य का प्राक्कलन व स्वीकृतियां :–

4.1 शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों के निर्माण हेतु उपयंत्री द्वारा अनुशंसित डिजाईन व आकार (Dimension) के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। कुयें के प्राक्कलन में कुयें की जगत, कुये से पानी निकालने के लिए गड़ारी (घिर्री), पानी की निकासी हेतु नाली, गंदे पानी के निपटारे हेतु सोकपिट तथा कुओं को ढांकने के लिए आवश्यक अधोसंरचना की लागत भी जोड़ी जाये।

4.2 ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों की डिजाईन, आकार व प्राक्कलन के निर्धारण के उपरांत प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के तहत समय–समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

5. क्रियान्वयन व गुणवत्ता :–

5.1 ''निर्मल नीर'' उपयोजना के उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा क्रियान्वयन नहीं कर पाने पर पैरा – 2.1 में उल्लेखित अनुसार क्रियान्वयन का दायित्व का होगा।

5.2 ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों के क्रियान्वयन के समय ध्यान में रखे जाने वाले कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख **अनुलग्नक – 4** में किया गया है।

5.3 ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित लागत की राशि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को प्रदाय की जायेगी, जो उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। यह राशि लागत के 50%–50% की 2 किश्तों में जारी की जायेगी। प्रथम किश्त का 60% उपयोग हो जाने पर ही द्वितीय किश्त जारी की जा सकेगी।

5.4 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जाये। ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकेगी।

5.5 ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों के निर्माण हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग उपयंत्री द्वारा प्रदान किया जायेगा।

5.6 ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे।

5.7 ''निर्मल नीर'' उपयोजना के प्रत्येक कार्य के पूर्ण होने पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत को पूर्णता प्रमाण पत्र देगी, जिस पर सरपंच तथा उपयंत्री कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी। इसके अतिरिक्त पूर्ण हुये कार्यों को पटवारी द्वारा परिसम्पत्ति के स्वामित्व सहित अपने रिकार्ड में इंद्राज किया जायेगा।

5.8 ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों के तहत तालाब एवं कुयें के निर्माण के पश्चात निर्माण स्थल पर कार्य की लागत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों के नाम और इस आशय का लेख कि इस परिसम्पत्ति का संधारण यह समिति करेगी, का उल्लेख करते हुए शिलालेख लगाया जायेगा।

5.9 विभाग के आदेश क्र. 3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप ''निर्मल नीर'' उपयोजना के तहत संपादित किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये। विभाग के

आदेश क्र. 1688 / 22 / वि–7 / NREGS-MP / 07 दिनांक 02.07.2007 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों की फाईल संधारण के निर्देश भी दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप ''निर्मल नीर'' उपयोजना के तहत संपादित किये जाने वाले कार्यों की फाईल का भी अनिवार्यतः संधारण किया जाये।

6. निस्तार एवं पीने के पानी के लिए निर्मित तालाब व कुओं के रख रखाव का दायित्वः–

6.1 ''निर्मल नीर'' उपयोजना के तहत नवनिर्मित तालाब व कुओं के संधारण और रख रखाव का दायित्व संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का होगा। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को और सशक्त किया जा सके, इस हेतु गांव में निस्तार हेतु पूर्व से मौजूद तालाबों, कुओं और हेण्डपंपों के संधारण और रख रखाव का दायित्व भी इस समिति को सौंपा जाये। इस हेतु यह समिति पूर्व से निर्मित कुओं व तालाबों की साफ सफाई का कार्य कर इन्हें उपयोगी भी बना सकती है। निस्तार एवं पेयजल हेतु संरचनाओं के संधारण एवं रख रखाव के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति संबंधित उपयोगकर्ताओं से वित्तीय संसाधनों का नियोजन करेगी। संधारण एवं रख रखाव के लिए आवश्यक धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा मूलभूत मद की राशि से भी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को प्रदाय की जा सकेगी।

6.2 भविष्य में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति निर्मित परिसम्पत्तियों से नलजल प्रदाय की आयोजना तैयार कर वित्तीय नियोजन उपरांत क्रियान्वयन के लिए भी विचार कर सकेगी, जिसके संचालन का संपूर्ण उत्तरदायित्व इस समिति का होगा। नलजल योजना की आयोजना व क्रियान्वयन तथा संचालन के लिए किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के वित्तीय संसाधनों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

7. मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :–

7.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागर गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों के विभिन्न चरणों पर **अनुलग्नक – 5** में दर्शाये गये अनुसार गुणवत्ता तथा उपयुक्तता की मॉनिटरिंग की जायेगी।

7.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों में से कम से कम से 10% कार्यों की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण आयोजना तथा क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

7.3 परियोजना अधिकारी (तकनीकी) द्वारा सभी विकासखण्डों में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार किये जाने वाले भ्रमण के दौरान ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों में से 5% कार्यों का परीक्षण अनिवार्यतः किया जायेगा।

7.4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों में से कम से कम से 20% कार्यों की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण आयोजना तथा क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

7.5 सहायक विकास विस्तार अधिकारी तथा ग्राम सहायक 15 दिवस में कम से कम एक बार किये जाने वाले भ्रमण के दौरान उन्हें आवंटित ग्राम पंचायतों में ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों के चयन, कार्यों के अनुमोदन, प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति तथा क्रियान्वयन की शत–प्रतिशत मॉनिटरिंग अनिवार्यतः करेंगे।

7.6 क्वालिटी मॉनिटर द्वारा ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों की मॉनिटरिंग की जायेगी।

7.7 ''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी **अनुलग्नक – 6** में दर्शाये गये प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित की जायेगी।

अतएव ''निर्मल नीर'' उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन हेतु उक्त दर्शित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्नक – 1

''निर्मल नीर'' उपयोजना के कार्यों हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन

प्रति,
सरपंच,
ग्राम पंचायत ....
जनपद पंचायत ....
जिला ....

विषयः निर्मल नीर उपयोजना के अंतर्गत कार्य हेतु आवेदन।

निर्मल नीर उपयोजना के अंतर्गत हम अपने गांव में निस्तार एवं पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाने हेतु निम्नानुसार कार्यों (सामुहिक गतिविधि) का निर्माण करवाना चाहते हैं। प्रस्तावित कार्यों के चयनित स्थल की भूमि के खसरा की प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग – 1 की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. कार्यों का विवरण :

	कार्य का नाम	कार्य की संख्या	कार्य का स्थल	खसरा नं. जहां कार्य प्रस्तावित है	कार्य का अनुमानित आकार

निर्मल नीर उपयोजना के अंतर्गत उपरोक्तानुसार कार्यों का क्रियान्वयन होने पर निर्मित होने वाली परिसम्पत्तियों के संधारण व रख रखाव का दायित्व हमारी समिति का होगा।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के
पदाधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 2

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निजी भूमि पर कार्य प्रस्तावित किये जाने पर संबंधित भू–स्वामी से परिसम्पत्ति के निर्माण के पश्चात ग्रामीण समुदाय को इसका उपयोग करने की अनुमति देने का अनुबंध

आज दिनांक .... को श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नि श्री/श्रीमती .... निवासी .... (जो कि इसके बाद प्रथम पक्ष के रूप में उल्लेखित होगा) .... (ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का नाम) (जिसका प्रतिनिधित्व इसकी अध्यक्ष श्रीमती .... करेंगी) (जो कि इसके बाद द्वितीय पक्ष के रूप में उल्लेखित होगा) के मध्य यह अनुबंध ज्ञापित किया गया।

1. कि प्रथम पक्ष .... (भूमि का स्थापन तथा विवरण) का स्वामी है जिसे इस भूमि के हस्तांतरण आदि के अधिकार हैं।

2. कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष को .... (निर्मल नीर उपयोजना के कार्य) के प्रयोजन हेतु देने को राजी है, जिसमें इस कार्य हेतु द्वितीय पक्ष को निर्विघ्न पथ का अधिकार शामिल है।

3. कि प्रथम पक्ष बिन्दु 2 में उल्लेखित कार्य के पूर्ण होने पर निर्मित होने वाली परिसम्पत्ति से द्वितीय पक्ष द्वारा सूचित किये गये अनुसार ग्रामीण समुदाय के परिवारों को निर्बाध रूप से पानी का उपयोग करने देने के लिए राजी है।

4. इस अनुबंध के प्रावधान इस ज्ञापन पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने की दिनांक से प्रभावशाली होंगे।

5. इस अनुबंध के करार के उक्त बिन्दुओं की पुष्टि स्वरूप दोनों पक्षों ने उपर अंकित तिथि को इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किये।

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर **द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर**

(नाम ....) (.........................ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्ष)

(नाम ....)

साक्षी

1. .... 1. ....

2. .... 2. ....

निर्मल नीर

NREGA की अनुसूचि 1 की कंडिका 1 (i) में के अनुसार जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के समस्त रहवासियों को भी निस्तार एवं पीने के स्वच्छ पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ''निर्मल नीर'' उपयोजना का क्रियांवयन विभाग के आदेश क्रं. 4404 / 22 वि–7 / NREG / 2007 भोपाल दिनांक 04.12.07 के द्वारा।

क्रियान्वयन के चरण :–

1. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की निस्तार एवं स्वच्छ पीने के पानी की आवश्यकता का आंकलन ।
2. ग्राम में निस्तार व पीने के पानी के लिये पूर्व से मौजूद संरचनाओं जैसे तालाब, कुएँ, हेण्डपम्प इत्यादि से जल पूर्ति का आंकलन (ग्रामीण रहवासियों को सुविधाजनक दूरी से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था के आधार पर)
3. ग्राम वासियों को पानी की शेष मांग (1–2) के आधार पर कार्य योजना तैयार करना।
   - A) उपयुक्त स्थलों पर सामुदायिक उपयोग के लिये नवीन तालाब व कुओं का निर्माण (ऐसे गाँव, जहां भू–जल की उपलब्धता ठीक नहीं वहां पर कुओं के स्थान पर, तालाब आदि के निर्माण को प्राथमिकता) हेतु।
   - B) ग्राम में पूर्व से मौजूद जल संरचनाओं की Yield बढ़ाने हेतु, उनके केचमेंट एरिया में कंटूर ट्रेंच, परकोलेशन तालाब, नाला बंधान, कुआ रिचार्ज इत्यादि कार्यों का निर्माण के द्वारा जल संरक्षण एवं संवर्धन।
   - C) कुओं एवं हेण्डपम्प के आसपास गंदे पानी के निपटारे हेतु आवश्यक संरचनाओं तथा सोक पिट का निर्माण।
4. ग्राम जल एवं स्वच्छता समीति क्रियान्वयन एजेंसी होगी।

- ग्राम एवं जल स्वच्छता समीति द्वारा कार्य नहीं कर पाने पर, इस आशय की लिखित सूचना लेने के पश्चात् क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत होगी।
- निस्तार एवं पीने के पानी के लिये पूर्व से निर्मित तथा नवनिर्मित संरचनाओं के रखरखाव का दायित्व हर स्थिति में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का होगा।

5. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कार्यों के चयन व निर्माण स्थल की अनुशंसा सहित अनुलग्नक–1 में दर्शाये प्रपत्र में ग्राम पंचायत को अनुशंसा।
6. यदि चयनित स्थल निजी भूमि पर हो तो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, भूस्वामी से निर्मित परिसम्पत्ति को सामुदायिक उपयोग की अनुमति देने का अनुबंध कर, अनुबंध ग्राम पंचायत को अपनी अनुशंसा सहित, अनुलग्नक–2 के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
7. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से प्राप्त आवेदन पर सचिव, सरपंच, पटवारी एवं उपयंत्री द्वारा चयनित कार्य के औचित्य व निर्माण स्थल की उपयुक्तता का स्थानीय परिस्थितियों और तकनीकी पहलुओं के आधार पर परीक्षण।

- चयनित कार्य एवं स्थल चयन उचित न होने पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को मार्गदर्शन, अंतिम निर्णय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का होगा।

8. सहयोग दल में शामिल उपयंत्री द्वारा निर्मित होने वाली संरचना के डिजाईन व आकार का निर्धारण।
   - इस प्रकार तैयार प्रोजेक्ट को उपयंत्री अनुशंसा सहित ग्राम पंचायत को प्रेषित करेगा।
9. उक्त कार्य को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से अनुमोदन के पश्चात् सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।
10. सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल कार्यों का उपयंत्री द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जावेगा।
    - कुए में जगत, गड़ारी, पानी की निकासी हेतु नाली, गंदे पानी के निपटारे हेतु सोकपिट का निर्माण का प्रावधान किया जावेगा।
11. T.S. – सहायक यंत्री (NREG)/अनुविभागीय अधिकारी (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुरूप।
12. A.S. – ग्राम पंचायत द्वारा, विभागीय निर्देशों के अनुरूप की जावेगी।
13. गुणवत्ता – ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा गुणवत्ता पर नियंत्रण करेगी, तथा ग्राम पंचायत उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण कर नियंत्रण करेगी।
14. निर्माण कार्य के आवश्यक सहयोग उपयंत्रियों द्वारा प्रदान किया जावेगा।
15. पूणतः प्रमाण पत्र – ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एवं सरपंच एवं उपयंत्री द्वारा प्रमाणित किया जावेगा।
16. बोर्ड लगाना – कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित विवरणों को दर्शानें वाला बोर्ड लगाना आवश्यक है।
17. एक्जिट प्रोटोकाल – विभाग के आदेश क्रं. 3665 दिनांक 22.06.06 के अनुसार एक्जिट प्रोटोकाल का निर्धारण अनिवार्य रूप से।
18. **मानिटरिंग –**
    - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – 10 प्रतिशत
    - परियोजना अधिकारी (तकनीकी), प्रत्येक तीन माह में कम से कम 5 प्रतिशत के कार्यों का परीक्षण।
    - ए. डी. ई. ओ. तथा ग्राम सहायक – 100 प्रतिशत।
    - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कम से कम 20 प्रतिशत कार्यों की मॉनीटरिंग करेंगे।

19- रिपोटिंग – प्रत्येक माह की जानकारी, निर्धारित प्रपत्र में अगले माह की 10 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में।